न्यायालयः– न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर

(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के विचारण हेतु राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.2(12)न्याय/85, जयपुर, दिनांक 28.02.04 के तहत सशक्त)

पीठासीन अधिकारी – सुनिल रणवाह, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या– 18/2017
सी आई एस नम्बर – 17/2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 17/2013
केंद्रीय पुलिस थाना एसीबी जयपुर चौकी भीलवाडा

.....

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

.....अभियोगी

बनाम

राजेंद्र प्रसाद जयसिंघानी, डिपो प्रबंधक, राजस्थान राज्य बेवरेज कोरपोरेशन लिमिटेड, अजमेर। निवासी 7, सिंधुवाडी आशागंज, अजमेर।

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

उपस्थित:–

1– श्रीमती निर्मला विद्वान लोक अभियोजक, वास्ते राज्य सरकार।

2– श्री उमरदान लखावत व श्री राजकुमार मौर्य विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 23.03.2026**

1. यह आरोप पत्र अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद जयसिंघानी के विरूद्ध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा की ओर से अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(D) सपठित धारा–13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इस निर्णय में आगे–अधिनियम से सम्बोधित किया जायेगा) के अपराध में विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय (भ्र.नि.अ.) अजमेर में पेश किया गया। जो माननीय राजस्थान उच्च न्ययालय के आदेश क्रमांक जनरल/टीआरसी/28/ 2017 दिनांक 24.05.2017 की अनुपालना में अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन वृतान्त इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.2013 को परिवादी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री जय सिंह राठौड, निवासी 185 ए आदर्श कॉलोनी अजमेर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि हमने वर्ष 2011 में 6 दुकानों का समूह है, सभी दुकानें अलग–अलग नाम से आबकारी विभाग अजमेर में लाटरी में अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानें आवंटित हुई थी। हमारी दुकानों में शराब राजस्थान राज्य बेवरीज कारपोरेशन लिमिटेड अजमेर से चालान की राशि जमा करवा लेते हैं। राजस्थान स्टेट बेवरेज कारपोरेशन अजमेर माखूपुरा के डीपो प्रबन्धक श्री राजेन्द प्रसाद जयसिंघानी द्वारा शराब की गाडी भरवाने के एवज में प्रत्येक दुकान से छह सौ (600 रू) रूपये प्रतिमाह के हिसाब से पिछले वर्ष अप्रैल 2012 से जनवरी 2013 तक 10 माह के (36000/–) छत्तीस हजार रूपये रिश्वत के मांगे, जिस पर परिवादी ने विनती की कि वह इतने रूपये नहीं दे सकता तो मामला (26000) छब्बीस हजार रूपये देने पर तय हुआ। उक्त रिश्वत की राशि वह श्री राजेन्द्र प्रसाद जयसिंघानी को नहीं देना चाहता है, उन्हें रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है।"

3. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर रिश्वत मांग का मामला पाये जाने पर मांग सत्यापन करवाया गया व मांग सत्यापन वार्ता में रिश्वत राशि की पुष्टि होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई व अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद जयसिंघानी को 10,000/– रूपये की रिश्वत

के साथ रंगे हाथों गिरफतार किया गया। उसके पश्चात् अनुसंधान किया जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–7, 13(1)(डी), 13(2) पी सी एक्ट के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के तहत प्रसंज्ञान लिया गया।

4. आरोप बहस सुनी जाकर दिनांकः 14.09.2018 को अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद जयसिंघानी को धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर आरोप से इन्कार किया तथा अंवीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया:–

क्र.सं.	गवाह का नाम	किस तथ्य से संबंधित साक्ष्य
1.	पी.ड. 1 हरीशचंद्र	दृष्टांत देने की ताईद बाबत
2.	पी.ड.2 भगवान सिंह	लिखित रिपोर्ट, गोपनीय सत्यापन व ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
3.	पी.ड.3 रामपाल	परिवादी के साथ जाकर गोपनीय सत्यापन व ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
4.	पी.ड.4 वीरबाला जोशी	आरोपी राजेंद्र प्रसाद जयसिंघानी के विरूद्ध जारी अभियोजन स्वीकृति के बारे मे ताईद बाबत
5.	पी.ड. 5 डी.आर. गोदारा	एफ.एस.एल. परीक्षण रिपोर्ट क्रमांक 163–64 दिनांक 21.01.2013 की ताईद बाबत
6.	पी.ड. 6 गणपत सिंह	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
7.	पी.ड. 7 गजानंद	सील्डशुदा आर्टिकल्स की ताईद बाबत
8.	पी.ड.8 मुकेश चावला	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
9.	पी.ड.9 राजेश प्रजापत	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
10.	पी.ड. 10 गोपाल जोशी	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत

11.	पी.ड. 11 प्रहलाद कुमार	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
12.	पी.ड. 12 ईश्वर सिंह	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
13.	पी.ड. 13 अभिषेक	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
14.	पी.ड. 14 बंशीलाल	ट्रेप कार्यवाही की ताईद बाबत
15.	पी.ड. 15 भीमसिंह बीका	प्रकरण में अनुसंधान बाबत

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया।

क्र.सं.	दस्तावेज	दस्तावेज का विवरण
1.	प्रदर्श पी.1 (17.11.18)	फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फनोफथलीन पाउडर
2.	प्रदर्श पी.2 (24.05.19)	तहरीरी रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी.3 (24.05.19)	फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता
4.	प्रदर्श पी.4 (24.05.19)	फर्द बरामदगी रिश्वती राशि और हाथ धुलाई
5.	प्रदर्श पी.5 (24.05.19)	फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता
6.	प्रदर्श पी.6 (24.05.19)	नक्शा मौका
7.	प्रदर्श पी.7 (24.05.19)	भगवान सिंह के धारा 161 सीआरपीसी के बयान
8.	प्रदर्श पी.8 (24.05.19)	कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर का मुलजिम का नियुक्ति आदेश
9.	प्रदर्श पी.9	निदेशालय कोष एवं लेखा राज, जयपुर का आदेश

	(24.05.19)	दिनांकित 16.09.2003
10.	प्रदर्श पी.10 (24.05.19)	निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा राज, जयपुर को प्रतिनियुक्ति पर चयन की सूचना दिनांकित 11.02.11
11.	प्रदर्श पी.10 (14.07.23)	फर्द गिरफ्तारी आरोपी राजेंद्र प्रसाद
12.	प्रदर्श पी.11 (30.11.18)	अभियोजन स्वीकृति
13.	प्रदर्श पी.12 (31.01.20)	अग्रेषण पत्र
14.	प्रदर्श पी.13 (31.01.20)	एफएसएल रिपोर्ट
15.	प्रदर्श पी.14 (30.09.22)	एफएसल नमूना अग्रेषण पत्र
16.	प्रदर्श पी.15 (30.09.22)	एफएसएल जमा कराने की प्राप्ति रसीद
17.	प्रदर्श पी.16	चाक एफआईआर
18.	प्रदर्श पी.17 (02.05.25)	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाह धारा जारी प्रमाण पत्र
19.	प्रदर्श पी.18 (28.10.25)	फार्म एच
20.	प्रदर्श पी.19 (28.10.25)	राजेंद्र प्रसाद के सर्विस रिकार्ड का अग्रेषण पत्र
21.	प्रदर्श पी.20 (28.10.25)	आरोपी के नमूना आवाज के नोटिस का जवाब
22.	प्रदर्श पी.21	रोजनामचा की प्रमाणित प्रतियां

	(28.10.25)	
23.	प्रदर्श पी. 22	अपराध संख्या 17/13 के मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

7. अभियोजन पक्ष की ओर से वस्तु साक्ष्य के रूप में निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवायेः–

क्र.सं.	नाम वस्तु	क्रमांक
1.	राजेंद्र प्रसाद की बाएं हाथ की अंगुलियों का धोवन एलएच 1	आर्टिकल–1
2.	राजेंद्र प्रसाद की दाएं हाथ की अंगुलियों का धोवन आरएच 1	आर्टिकल–2
3.	जैकेट की दाहिनी जेब का धोवन मार्क जे–1	आर्टिकल–3
4.	राजेंद्र प्रसाद की टेबल दराज में रखे कागज का धोवन मार्का पी–1	आर्टिकल–4
5.	सीलबंद अवस्था में कपडे की थैली	आर्टिकल–5
6.	आर्टिकल 5 में से निकला पैकेट	आर्टिकल–6
7.	सीलबंद अवस्था में आरोपी व परिवादी के मध्य मांग सत्यापन वार्ता, जो सफेद कपडे की थैली पर सत्यापन वार्ता की इबारत	आर्टिकल–7
8.	आर्टिकल 7 से पारदर्शी थैली में निकली एक सीडी	आर्टिकल–8
9.	कपडे की थैली	आर्टिकल–9
10.	आर्टिकल 9 को खोलने पर पारदर्शी थैली में निकली एक सीडी	आर्टिकल–10
11.	एक खाकी रंग का कागज का सील्ड लिफाफा, जिस पर मुकदमा संख्या 17/2013 विरूद्ध राजेंद्र प्रसाद जयसिंघानी टेबल के उपरी दायीं तरफ की दराज में रखे आरएसबीसीएल कागजात के धोवन के बाद उक्त कागज को लिफाफे में सील्ड किया गया	आर्टिकल–10 ए
12.	आर्टिकल 11 को खोलने पर मिला कागज	आर्टिकल–11

8. अभियुक्त को दिनांक 08.12.2025 को अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत परीक्षित किया गया, तब अभियुक्त ने गवाहान के अधिकांश कथनों को गलत बताया व कथन किया कि वह निर्दोष है। उसने रिश्त की मांग परिवादी से नहीं की और न ही उससे वार्ता की। उसे रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। परिवादी आबकारी विभाग में ठेकेदार नहीं था। परिवादी को कोई ठेका आवंटित नहीं था। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

9. बचाव पक्ष ने अभियोजन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण के दोरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है।

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1.	प्रदर्श डी.1	श्री गणपत सिंह के धारा 161 सीआरपीसी के बयान
2.	प्रदर्श डी.2	श्री मुकेश चावला के धारा 161 सीआरपीसी के बयान
3.	प्रदर्श डी.3	श्री गोपाल के धारा 161 सीआरपीसी के बयान
4.	प्रदर्श डी.4	श्री प्रहलाद कुमार के धारा 161 सीआरपीसी के बयान
5.	प्रदर्श डी.5	सहवन से अंकित नहीं किया गया।
6.	प्रदर्श डी.6	सहवन से अंकित नहीं किया गया।
7.	प्रदर्श डी.7	सहवन से अंकित नहीं किया गया।
8.	प्रदर्श डी.8	सहवन से अंकित नहीं किया गया।
9.	प्रदर्श डी.9	श्री ईश्वर सिंह के धारा–161 सीआरपीसी के बयान

10. लोक अभियोजन श्रीमती निर्मला और अभियुक्त की ओर से उम्रदान लखावत व राजकुमार मौर्य उपस्थित।

11. बहस अंतिम सुनी गई।

12. विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस मुख्य रूप से यह तर्क है कि अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित है। अभियोजन ने गवाहों की साक्ष्य से मामला साबित किया है। उनका

तर्क है कि रिश्वत राशि की मांग सत्यापन वार्ता को अभियोजन की वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट को अभियोजन के स्वतंत्र गवाहान ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है तथा वार्ता की रिकार्डिंग को भी साक्ष्य में प्रस्तुत कर तथा उस रिकार्डिंग के संबंध में व ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में धारा 65(बी) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रिकार्डिंग को साबित कराया गया है। मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्डिंग से अभियुक्त का रिश्वत राशि का मांग किया जाना पूरी तरह साबित है। रिश्वत राशि की लेन–देन की वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट से भी रिश्वत राशि का हस्तांतरण साबित है। हालांकि रिश्वत राशि बरामद नहीं होने से अन्य साक्ष्य नकारी नहीं जा सकती, जिससे रिश्वत राशि का आदान–प्रदान स्पष्ट साबित होता है। उनका यह भी तर्क है कि हालांकि परिवादी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है, लेकिन उसने एसीबी को दिए गए शिकायत प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा अन्य कार्यवाही पर भी स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के नीरज दत्ता के मामले में पारित अभिमत की रोशनी में परिवादी के पक्षद्रोही घोषित होने के बावजूद अगर अन्य साक्ष्य से मामला साबित होता है तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त को नमूना आवाज देने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने आवाज का नमूना देने से इनकार किया है और इस आधार पर यह उपधारणा की जानी चाहिए कि रिश्वत राशि की मांग सत्यापन वार्ता व लेनदेन वार्ता की सीडी में अभियुक्त की ही आवाज है। दोनों वार्ताओं में रिश्वत राशि की मांग व लेनदेन स्पष्ट परिलक्षित होती है। अतः संपूर्ण साक्ष्य अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने के पर्याप्त है।

13. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए लेशमात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त पर केवल धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह आरोप है कि हालांकि अभियोजन द्वारा धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त अपराध के लिए अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–11 में केवल धारा 7 के अपराध का ही उल्लेख है। उसके अलावा उसमें धारा 7 से संबंधित अन्य अपराधों के लिए अभियोजन स्वीकृति का उल्लेख है, लेकिन अन्य अपराधों को विशिष्ट तौर पर अंकित नहीं किया गया

है और इस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 13(1)(डी) के आरोप का अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान भी नहीं लिया गया था। उनका यह भी तर्क है कि धारा 13(1)(डी) के आरोप में उन्मोचन के पश्चात रिश्वत राशि के लेनदेन के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब केवल रिश्वत की राशि की मांग से संबंधित बिंदु पर ही साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना है।

14. उनका यह तर्क है कि अभियोजन का मुख्य गवाह परिवादी पी.ड 2 भगवान सिंह साक्ष्य में पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उसने लेशमात्र भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में भी उसने कार्यवाही स्वयं के द्वारा किए जाने से इनकार किया है तथा एक अन्य व्यक्ति जसवंत सिंह उर्फ जस्सू बन्ना के कहने पर शिकायत प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करना बताया है। उनका यह तर्क है कि दिनांक 06.01.2013 को मांग सत्यापन की वार्ता होने का तथ्य अभियोजन ने प्रस्तुत किया है, लेकिन अभियोजन साक्ष्य से दिनांक 06.01.2013 को रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता होना संदेहास्पद है। इस संबंध में उनका तर्क है कि दिनांक 06.01.2013 को शाम 4 बजे शिकायत प्रार्थना पत्र एसीबी भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया गया था तथा शाम 5 बजे भीलवाड़ा से कानि. रामपाल का परिवादी के साथ अजमेर के लिए रवाना होने का अंकन दिनांक 06.01.2013 के रनिंग नोट में है व उसके पश्चात 7.30 बजे परिवादी व कानि. रामपाल का माखुपुरा में राज्य बेवरेज लिमिटेड के गोदाम के पास पहुंचने की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, लेकिन रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता की जो ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श–3 बनाई गई है, वह दिनांक 10.01.2013 को बनाई गई है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि मांग सत्यापन की वार्ता परिवादी व अभियुक्त के मध्य किस दिनांक को व किस समय पर रिकार्ड की गई। मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में परिवादी के अलावा अन्य कोई ऐसा गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिसने मांग सत्यापन वार्ता सुनी हो। कानि. रामपाल ने अपनी साक्ष्य में मांग सत्यापन वार्ता सुने जाने का कथन नहीं किया है और इस आधार पर मांग सत्यापन वार्ता होने का तथ्य साबित करने के लिए उसकी साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क रहा है कि दिनांक 06.01.2013 को रविवार था और उस दिन अभियुक्त का गोदाम/कार्यालय बंद था। रविवार को सरकारी कार्यालय बंद रहने की उपधारणा की जा सकती है। इसलिए रविवार को मांग सत्यापन के समय आरोपी का कार्यालय में उपस्थित होना संदेहास्पद है

तथा अभियोजन ने एसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि रविवार को कार्यालय खुला था। अभियोजन का प्रमुख गवाह परिवादी इस संबंध में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, उसने सत्यापन वार्ता की रिकार्डिंग में भी आवाज स्वयं की नहीं होने से इनकार किया है। अतः अभियोजन के पास अभियुक्त द्वारा रिश्वत राशि की मांग परिवादी से किए जाने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

15. उनका यह भी तर्क है कि परिवादी ने अपनी शिकायत में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसके समूह की शराब की दुकानें हैं, जिनके लिए प्रति दुकान 600/– रुपये मासिक बंधी की मांग अभियुक्त द्वारा की जा रही है, जबकि सत्यापन कार्यवाही से पूर्व परिवादी भगवान सिंह की कोई शराब की दुकान आवंटित होने के संबंध में दस्तावेज एसीबी भीलवाड़ा के अधिकारियों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, न ही अनुसंधान के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज एकत्रित किया गया, जो यह दर्शाता हो कि परिवादी भगवान सिंह के या उसके समूह के नाम से कोई शराब की दुकान तथाकथित समय में आवंटित हुई हो। परिवादी के शराब की दुकान के दस्तावेजों के अभाव में यह साबित नहीं है कि वास्तव में परिवादी का कोई विभागीय कार्य अभियुक्त के पास लंबित हो। ऐसी दशा में रिश्वत मांगे जाने का कोई हेतुक अभियुक्त के पास उपलब्ध नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि मामला अजमेर का था, लेकिन एसीबी भीलवाड़ा के अधिकारियों से सांठगांठ कर जानबूझकर शिकायत एसीबी भीलवाड़ा में प्रस्तुत की जाकर झूठी कार्यवाही संचालित की गई है। अभियोजन की लेशमात्र भी साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

16. इस प्रकरण में निम्न अवधारणीय बिंदु हैंः–

1. आया अभियुक्त दिनांक 06.01.2013 को लोक सेवक के पद पर कार्यरत था?

2. आया अभियुक्त के विरूद्ध विधिवत रूप से अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है?

3. आया अभियुक्त ने राजस्थान राज्य बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड अजमेर में डिपो मैनेजर के पद पर बतौर लोक सेवक कार्य करते हुए परिवादी से शराब की गाड़ी भरवाने की एवज में परिवादी को आबकारी विभाग द्वारा आवंटित 6 दुकानों में से प्रत्येक दुकान के

600/– रुपये के हिसाब से अप्रेल 2012 से जनवरी 2013 तक के लिए 36,000/– रुपये रिश्वत की मांग की?

विचारणीय बिंदु संख्या–1

आया अभियुक्त दिनांक 06.01.2013 को लोक सेवक के पद पर कार्यरत था?

17. इस बिंदु के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियुक्त का राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति आदेश प्रदर्श–8 प्रस्तुत किया है, जिसे अभियुक्त ने स्वीकार किया है। इसके अलावा अभियुक्त ने डिपो मैनेजर के पद पर नियुक्त का आदेश प्रदर्श–10 है, जिसे भी अभियुक्त ने स्वीकार किया है। इस प्रकार अभियुक्त के लोक सेवक होने का कोई विवाद नहीं है। अभियुक्त ने भी लोक सेवक के पद पर कार्यरत होने से इनकार नहीं किया है। अतः यह बिंदु अभियोजन के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

विचारणीय बिंदु संख्या–2

आया अभियुक्त के विरूद्ध विधिवत रूप से अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है?

18. इस बिंदु को साबित करने का भार भी अभियोजन पर है। अभियोजन की तरफ से इस बिंदु के संबंध में अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी श्रीमती वीर बाला जोशी को पी.ड 4 के रूप में परीक्षित करवाया है, जिसने अभियुक्त को सेवा से पृथक करने में सक्षम अधिकारी होने तथा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श 11 जारी करने का कथन किया है। गवाह के प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि अभियोजन ने अपने विवेक का उपयोग किए बिना या आंतरिक रूप से अभियोजन स्वीकृति जारी की हो। अतः अभियोजन यह अवधारणीय बिंदु साबित करने में सफल रहा है कि अभियोजन स्वीकृति विधिवत रूप से जारी की गई हो।

विचारणीय बिंदु संख्या–3

आया अभियुक्त ने राजस्थान राज्य बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड अजमेर में डिपो मैनेजर के पद पर बतौर लोक सेवक कार्य करते हुए परिवादी से शराब की गाड़ी भरवाने की एवज में परिवादी को आबकारी विभाग द्वारा आवंटित 6 दुकानों में से प्रत्येक दुकान के

600/– रुपये के हिसाब से अप्रेल 2012 से जनवरी 2013 तक के लिए 36,000/– रुपये रिश्वत की मांग की?

19. इस अवधारणीय बिंदु के संबंध में निम्न बिंदुओं को अभियोजन द्वारा साबित किया जाना हैः–

(I) रिश्वत राशि की मांग।

(II) अभियुक्त के पास परिवादी का पदीय कार्य लंबित होना।

(I) <u>रिश्वत राशि की मांग</u>

20. इस बिंदु पर साक्ष्य का अभिवचन करने से पूर्व यह उल्लेख आवश्यक है कि अभियुक्त के विरूद्ध हालांकि धारा 7 व धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति केवल धारा 7 के अपराध के लिए ही जारी की गई थी और इस आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध केवल धारा 7 के अपराध के लिए प्रसंज्ञान लिया गया था और रिश्वत राशि की मांग के संबंध में ही आरोप विरचित किया गया था। इस स्तर पर धारा 7 का उद्धृत किया जाना समीचीन है।

धारा 7 लोक सेवक को रिश्वत दिये जाने से सम्बन्धित अपराध–– ऐसा कोई लोक सेवक जो,...

(क) किसी व्यक्ति से, इस आशय से कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है कि चाहे स्वयं उसके या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से किया जाए या करवाया जाए या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न किया जाए या न करवाया जाएय या

(ख) किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से, चाहे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य किसी लोक सेंवक द्वारा करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए किसी व्यक्ति से सिकी इनाम के रूप में कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता हैय या

(ग) किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेइमानी से कार्यपालन करता है या किसी अन्य लोक सेवक को किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेइमानी से कार्यपालन करने हेतु प्रेरित करता है या किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ स्वीकार करने के परिणामस्वरूप या उसकी प्रत्याशा में ऐसे कर्तव्य का कार्यपालन करने से प्रविरत रहता हैय

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1.– इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी असम्यक् लाभ को अभिप्राप्त करने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने, प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करने से ही लोक सेवक द्वारा लोक कर्त्तव्य का पालन स्वयं अपराध का गठन करेगा, चाहे लोक सेवक द्वारा उसका कार्यपालन अनुचित रहा हो या न रहा हो।

दृष्टान्त–– एक लोक सेवक'एस' एक व्यक्ति 'पी' से उसके नेमी राशन कार्ड आवेदन को समय से प्रक्रिया में लाने के लिए पांच हजार रूपये की रकम इसे देने को कहता है। 'एस' इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2– इस धारा के प्रयोजन के लिए,–

(1) ''अभिप्राप्त करता है'' या ''प्रतिगृहीत करता है'' या ''अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है'' पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोक सेक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करके या अन्य लोक सेवक परनिजी प्रभाव का प्रयोग करके या किन्हीं अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वाराकोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या ''प्रतिगृहीत करता है'' या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

(11) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए वह असम्यक् लाभ सीधे या पर–पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

21. इस बिंदु के संबंध में जो साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह प्रकरण का परिवादी भगवान सिंह है, जो पी.ड 2 के रूप में परीक्षित हुआ है। भगवान सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन की कहानी की बिल्कुल भी ताईद नहीं की है तथा उसने मुख्य परीक्षण में अपने परिचित प्रोपर्टी में पार्टनर जसवंत सिंह उर्फ जस्सू बन्ना के कहने पर प्रार्थना पत्र प्रदर्श 2 लिखने का कथन किया है, जिस पर उसने हस्ताक्षर अपने आदर्श नगर स्थित घर पर करने का कथन किया है। गवाह ने एसीबी कार्यालय पर नहीं जाने तथा हस्ताक्षर खाली कागजों पर करने का कथन किया है। इसके अलावा गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा नहीं जाने का कथन किया है। इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया जाकर जिरह की गई है। हालांकि अभियुक्त ने शिकायत प्रार्थना पत्र प्रदर्श 2 तथा अन्य फर्दों पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, लेकिन यह भी कथन किया है कि उसने हस्ताक्षर खाली कागजों पर किए थे। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त की आवाज रिकार्ड करके रिकार्डर एसीबी भीलवाड़ा को दिए जाने के तथ्य से भी इनकार किया है तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की सीडी आर्टिकल 8 में एक आवाज जस्सू बन्ना की तथा दूसरी आवाज अजीत सिंह की होने तथा अन्य आवाज नहीं पहचानने का कथन किया है तथा

सीडी में स्वयं की आवाज नहीं होने का भी कथन लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में किया है। गवाह ने लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में आर्टिकल 10 सीडी में आवाजों को नहीं पहचानने तथा स्वयं की आवाज नहीं होने का भी कथन किया है। अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में अभियुक्त ने कथन किया है कि उसका निवास RSBCL के पास है। जस्सू बन्ना ने आवास पर ही 2–3 सादा कपड़ों में व्यक्ति थे, उनके साथ हस्ताक्षर करने को कहा था तो मैंने हस्ताक्षर किए थे। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उसकी व उसके परिवार की वर्ष 2012–2013 में शराब की कोई दुकान नहीं थी।

22. रिश्वत राशि की मांग के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड 3 एसीबी कार्मिक रामपाल है, जो मांग सत्यापन वार्ता के लिए परिवादी के साथ गया था। रामपाल पी.ड 3 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण के कथनों में दिनांक 06.01.2013 को भीलवाड़ा में एसीबी कार्यालय में कानि. के पद पर कार्यरत होने तथा उसी दिन परिवादी के साथ मांग सत्यापन के लिए माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर राजस्थान राज्य बेवरेज कार्पोरेशन पहुंचने का कथन किया है तथा परिवादी को कार्यालय के अंदर रवाना करके स्वयं का कुछ दूरी पर खड़े रहने का कथन किया है। गवाह ने आगे कथन किया है कि कुछ देर बाद परिवादी ने आकर मुझे बताया कि राजेंद्र प्रसाद से बात हो गई है और वार्ता को मैंने डीवीआर में रिकार्ड कर लिया है। गवाह ने आगे कथन किया है कि मैं परिवादी को साथ लेकर दिनांक 07.01.2013 को एसीबी कार्यालय भीलवाड़ा पहुंचा और परिवादी ने वॉइस रिकार्डर डिप्टी साहब को पेश किया, जिन्होंने डीवीआर में दर्ज वार्ता को चालू कर सुना व मांग का सत्यापन होना पाया।

इस गवाह के मुख्य परीक्षण में किए गए शेष कथन रिश्वत राशि के लेनदेन के घटनाक्रम से संबंधित थे, लेकिन अभियुक्त पर केवल रिश्वत राशि की मांग का ही आरोप है, अतः लेनदेन के घटनाक्रम के संबंध में किए गए कथनों का विवेचन किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। गवाह ने रिश्वत राशि की मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में किए गए प्रतिपरीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 06.01.2013 को बेवरेज माखुपुरा अजमेर लगभग 7.30 बजे पहुंच गए थे। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दिनांक 06 व 07 के रवानगी के रनिंग नोट में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं और उसने टेप रिकार्डर की आवाज नहीं सुनी थी।

23. पी.ड 2 व पी.ड 3 के अलावा रिश्वत राशि की मांग सत्यापन के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण गवाह प्रकरण के स्वतंत्र गवाहान हैं, जिनकी साक्ष्य इस स्तर पर केवल रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता व लेनदेन की वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार किए जाने की सीमा तक ही सुसंगत है, क्योंकि रिश्वत राशि की प्राप्ति व बरामदगी का आरोप नहीं होने से उक्त संबंध में किए गए कथनों का विवेचन करने का औचित्य नहीं है। स्वतंत्र गवाहान के रूप में मुकेश चावला व राजेश परीक्षित हुए हैं। मुकेश चावला पी.ड 8 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने कथन किया है कि दिनांक 09.01.2013 को वह कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अधीक्षण अभियंता भीलवाड़ा में पदस्थापित था और उसे गोपनीय कार्य से एसीबी कार्यालय में जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिस पर वह कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक राजेश के साथ एसीबी कार्यालय गया और उसे गोपनीय कार्य से दिनांक 10.01.2013 को सुबह 7 बजे एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। गवाह ने आगे कथन किया है कि वह दोनों दिनांक 10.01.2013 को सुबह 7 बजे एसीबी कार्यालय पहुंचे, जहां कानि. रामपाल ने सीआई बंसीलाल तथा एसीबी जाप्ता से परिचय करवाया। गवाह ने आगे कथन किया है कि सीआई बंसीलाल ने परिवादी भगवान सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा सत्यापन की रिकार्डिंग हमें दिखाई और सुनाई तथा बाद में ट्रेप सत्यापन की ट्रांसक्रिप्ट शब्द–ब–शब्द हमारे सामने तैयार कर हम दोनों के हस्ताक्षर करवाए। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट व सीडी को गवाह ने साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है। मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है। प्रदर्श 3 फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता में बताई गई वार्ता किस तारीख को रिकार्ड की गई, उस तारीख का उल्लेख नहीं है। इस सुझाव को सही बताया है कि प्रदर्श 3 बनाते समय तथा ट्रेप के लिए रवाना होते समय उक्त सत्यापन की कोई सीडी नहीं बनाई गई थी, फिर स्वतः कहा कि वापस आकर बनाई थी।

24. अन्य स्वतंत्र गवाह पी.ड 9 राकेश प्रजापत परीक्षित हुआ है, जिसने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में पी.ड 8 के कथनों के अनुरूप ही कथन अपने मुख्य परीक्षण में किए हैं। गवाह ने प्रदर्श 3 ट्रांसक्रिप्ट व उसकी सीडी पर हस्ताक्षर होना भी अपने मुख्य परीक्षण में

बताया है। इस गवाह ने भी यह सुझाव प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श 3 फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता में दर्शाई गई वार्ता किस तारीख को रिकार्ड की गई, उस तारीख का उल्लेख नहीं है।

25. उपर्युक्त गवाहान के अलावा अन्य गवाहान जो साक्ष्य में प्रस्तुत हुए हैं, वे रिश्वत राशि की मांग के बिंदु के संबंध में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी भूमिका ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही रही थी, लेकिन ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि बरामद नहीं होने व अभियुक्त पर धारा 13(1)(डी)का आरोप नहीं होने से रिश्वत राशि के लेनदेन के संबंध में साक्ष्य इस बिंदु के संबंध में विवेचन योग्य भी नहीं है। उपर्युक्त गवाहान के अलावा रिश्वत राशि की मांग व सत्यापन करवाने वाले अधिकारी भीम सिंह बीका की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जो पी.ड 15 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने कथन किया है कि दिनांक 06.01.2013 को वह चौकी प्रभारी एसीबी भीलवाड़ा के पद पर तैनात थे और उस दिन कार्यालय में भगवान सिंह द्वारा एक लिखित रिपोर्ट आबकारी गोदाम के मैनेजर राजेंद्र कुमार जय सिंघानी के विरूद्ध 36,000/– रुपये की रिश्वत मांगने के लिए प्रस्तुत की गई, जिस पर कानि. रामपाल के साथ परिवादी को अजमेर मांग सत्यापन हेतु भिजवाया गया। दूसरे दिन कानि. रामपाल व परिवादी कार्यालय में उपस्थित आए। परिवादी ने उसे डीवीआर सुपुर्द किया। उसने डीवीआर को चालू कर सुना तो उसमें मांग सत्यापन होना पाया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि परिवादी ने उसे बताया कि रिश्वत राशि लेकर 10 जनवरी 2013 को बुलाया है, जिस पर परिवादी को रूख्सत कर निर्देश दिया गया कि वह दिनांक 10.01.2013 को रिश्वत राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित आए। गवाह ने आगे कथन किया है कि दिनांक 10.01.2013 को परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया और उसे कानि. प्रहलाद को खनिज विभाग से 2 स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा। वह 2 स्वतंत्र गवाह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया, फिर उसने लिखित रिपोर्ट, डीवीआर सुपुर्द कर बंसीलाल को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मांग सत्यापन उसके द्वारा करवाया गया था तथा स्वतंत्र गवाहान को तलब किया गया था तथा ट्रेप कार्यवाही आयोजित करने का निर्देश सीआई बंसीलाल को दिया था।

26. रिश्वत राशि की मांग सत्यापन के संबंध में जो उपर्युक्त साक्ष्य का उल्लेख किया गया है, उसका विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि रिश्वत राशि के आरोप के संबंध में अभियोजन का

तारांकित गवाह पी.ड 2 पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उसने अभियोजन की कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। उसने अपने प्रोपर्टी पार्टनर जसवंत सिंह उर्फ जस्सू बन्ना के कहने पर प्रदर्श 2 शिकायत प्रार्थना पत्र लिखने व हस्ताक्षर करने का कथन किया है तथा अन्य फर्दात पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने का कथन प्रतिपरीक्षण में किया है। गवाह ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की वार्ता किए जाने से भी इनकार किया है तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सीडी आर्टिकल 8 में स्वयं की आवाज नहीं होने का कथन किया है तथा रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की सीडी आर्टिकल 10 में भी स्वयं की आवाज नहीं होने का कथन किया है।

परिवादी द्वारा मांग सत्यापन वार्ता आरोपी राजेंद्र जयसिंघानी से किए जाने से स्पष्ट इनकार किया गया है। परिवादी के अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी गवाह ने रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता को सुने जाने का कथन नहीं किया है। किसी भी गवाह द्वारा रिश्वत राशि का मांग सत्यापन की वार्ता नहीं सुनी गई। परिवादी द्वारा आरोपी से रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता के संबंध में इंकार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय Neeraj Dutta Vs State (Govt. of N.C.T of Delhi) (2023) 4 SCC 731 में अभिनिर्धारित किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में परिवादी के पक्षद्रोही घोषित हो जाने अथवा परिवादी की मृत्यु हो जाने की दशा में भी अभियोजन का मामला असफल नहीं होता यदि परिवादी के पक्षद्रोही घोषित होने के बावजूद पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य तथा परिस्थितिजनक साक्ष्य से मामले की पुष्टि होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि क्या परिवादी के पक्षद्रोही घोषित होने के पश्चात ऐसी कोई अन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगे जाने के तथ्य को साबित करती है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्श 3 तथा उसकी सीडी आर्टिकल 8 को साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है तथा मामले को साबित करने के लिए प्रदर्श 3 व आर्टिकल 8 पर निर्भरता साक्ष्य के दौरान रखी है। प्रदर्श 3 व आर्टिकल 8 दोनों ही कंप्यूटरजनित दस्तावेज हैं, जिनकी ग्राह्यता के संबंध में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65(बी)(4) में दिए गए हैं। धारा 65(बी) के प्रावधानों के विवेचन से पूर्व यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रदर्श 3 व आर्टिकल 8

को साबित किए जाने का भार अभियोजन पर था, लेकिन अभियोजन के प्रमुख गवाह पी.ड 2 ने आर्टिकल 8 की वार्ता किए जाने से स्पष्ट इनकार किया है तथा आर्टिकल 8 में आवाज जसवंत सिंह उर्फ जस्सू बन्ना व अजीत सिंह की होने का कथन किया है तथा उसमें स्वयं की आवाज होने से स्पष्ट इनकार किया गया है। हालांकि अभियोजन ने बहस के दौरान तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा नमूना आवाज दिए जाने से इनकार करने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध यह उपधारणा ली जानी चाहिए कि प्रदर्श 8 में आवाज उसकी ही है और अभियोजन के उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि सबूत का भार अभियोजन पर होता है। अभियोजन द्वारा सबूत के आरंभिक भार का निर्वहन कर दिए जाने के पश्चात ONUS अभियुक्त पर अंतरित होता है। इस मामले में परिवादी द्वारा आर्टिकल 8 में स्वयं की आवाज होने से इनकार किया गया है। आर्टिकल 8 में परिवादी की आवाज हो, इस संबंध में अन्य कोई वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। परिवादी की आवाज का नमूना लेकर उसका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं करवाया गया है। परिवादी के पक्षद्रोही घोषित होने के बावजूद अगर उसकी आवाज का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया जाता और प्रयोगशाला की रिपोर्ट में आर्टिकल 8 में परिवादी की आवाज होने की पुष्टि होती, तब न्यायालय अभियुक्त की आवाज का नमूना देने से इनकार किए जाने पर कोई उपधारणा कायम कर सकता था, लेकिन इस मामले में अभियोजन गवाह पी.ड 2 ने सीडी आर्टिकल 8 में स्वयं की आवाज होने से इनकार किया है और इस आधार पर अभियोजन आर्टिकल 8 व 10 में परिवादी की आवाज होने के संबंध में सबूत के प्रारंभिक भार का निर्वहन करने में असफल रहा है। इस आधार पर प्रदर्श 3 व आर्टिकल 8 से अभियोजन को रिश्वत की मांग का बिंदु साबित करने में कोई सहायता नहीं मिलती है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि रिश्वत राशि की मांग की तथाकथित वार्ता किस दिनांक को की गई, इस संबंध में भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। प्रदर्श 3 में मांग सत्यापन वार्ता किस दिनांक की है, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.01.2013 को मांग सत्यापन वार्ता किया जाना पी.ड 15 ने अपने कथनों में बताया है। इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क रहा है कि दिनांक 06.01.2013 को रविवार होने से कार्यालय बंद था और इस आधार पर राजकीय बेवरेज कार्पोरेशन अजमेर में वार्ता किया जाना संभव नहीं था,

क्योंकि अभियुक्त उस दिन रविवार होने के कारण अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं था। अभियुक्त के उक्त तर्क का कोई भी जवाब बहस के दौरान अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है तथा दिनांक 06.01.2013 को अभियुक्त का कार्यालय खुला होने के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है तथा परिवादी ने दिनांक 06.01.2013 को वार्ता किए जाने से इनकार किया है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक 06.01.2013 को शाम 5 बजे कानि. रामपाल व परिवादी सत्यापन वार्ता के लिए अजमेर रवाना हुए तथा रामपाल की साक्ष्य के अनुसार वह 7.30 बजे अजमेर राजकीय बेवरेज कार्पोरेशन माखुपुरा पहुंच गए और परिवादी को वार्ता के लिए भेजा और कुछ देर बाद परिवादी वार्ता कर वापस आया, लेकिन कानि. रामपाल व परिवादी पुनः एसीबी भीलवाड़ा में रनिंग नोट के अनुसार दिनांक 07.01.2013 को शाम 6 बजे पहुंचे। दिनांक 06.01.2013 को भीलवाड़ा से अजमेर कानि. रामपाल व परिवादी ढाई घंटे में पहुंच गए थे, तब वापस अजमेर से भीलवाड़ा पहुंचने में दोनों व्यक्तियों को करीब 20 घंटे का समय क्यों लगा? इस बात का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन ने प्रकट नहीं किया है। दिनांक 07.01.2013 को कानि. रामपाल व परिवादी पूरे दिन कहां रहे, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस आधार पर अभियोजन की दिनांक 06.01.2013 को मांग सत्यापन वार्ता होने की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है।

27. प्रदर्श 3 व आर्टिकल 8 इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज है, जिसकी ग्राह्यता धारा 65(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की पालना पर निर्भर करती है। कंप्यूटरजनित दस्तावेजों व इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा धारा 65(बी)(4) के प्रावधानों के अनुरूप एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद ही वह कंप्यूटरजनित दस्तावेज/इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड साक्ष्य में ग्राह्य होता है। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.ड 14 बंसीलाल द्वारा इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज के संबंध में धारा 65(बी) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श 17 प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श 17 में उल्लेख है कि डिजिटल वॉइस रिकार्डर में दिनांक 07.01.2013 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 10.01.2013 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता रिकार्ड थी और उक्त वार्ता को कंप्यूटर में दिनांक 10.01.2013 को रिकार्ड करवाया जाकर सीडियां व ट्रांसक्रिप्ट बनवाई गई थी।

रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ता के संबंध में अभियोजन सत्यापन की वार्ता दिनांक 06.01.2013 को होने का तथ्य लेकर आया है। पी.ड 3 कानि. रामपाल ने भी दिनांक 06.01.2013 को मांग सत्यापन वार्ता के लिए परिवादी के साथ जाने का कथन किया है। मांग सत्यापन के समय प्रभारी अधिकारी भीम सिंह बीका ने भी मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.01.2013 को होने व परिवादी तथा कानि. का सत्यापन वार्ता के बाद दिनांक 07.01.2013 को शाम 6 बजे एसीबी चौकी भीलवाड़ा वापस पहुंचने का कथन किया है। पी.ड 3 तथा पी.ड 15 भीम सिंह बीका के कथनों तथा रनिंग नोट दिनांक 06.01.2013 व दिनांक 07.01.2013 में दर्ज तथ्यों के आधार पर अभियोजन ने दिनांक 06.01.2013 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना बताया है, जबकि प्रदर्श 17 दिनांक 07.01.2013 को मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड किए जाने का उल्लेख है। इस प्रकार मांग सत्यापन वार्ता की तिथि के संबंध में प्रदर्श 17 में की गई तिथि का उल्लेख अभियोजन के अन्य गवाहान पी.ड 3 व पी.ड 15 के विपरीत है। इस आधार पर प्रदर्श 17, प्रदर्श 3 व आर्टिकल 8 की विधि मान्यता को साबित करने के लिए ग्राह्य दस्तावेज नहीं है।

28. इसके अलावा यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि तथाकथित परिवादी भगवान सिंह अजमेर का रहने वाला था तथा उसकी शिकायत प्रार्थना पत्र के अनुसार राजस्थान बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड का गोदाम भी अजमेर में था तथा अभियुक्त भी अजमेर में निवास करता था। अजमेर में एसीबी का कार्यालय भी है, लेकिन शिकायत परिवादी द्वारा भीलवाड़ा में की गई, हालांकि किसी अन्य स्थान की चौकी पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है, लेकिन प्रकरण के उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवादी का पक्षद्रोही घोषित होना व दिनांक 06.01.2013 को मांग सत्यापन वार्ता संपादित किया जाना संदेहास्पद होना भी भीलवाड़ा चौकी पर की गई शिकायत की शुचिता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय के अभिमत में अभियोजन दिनांक 06.01.2013 को परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत के संबंध में वार्ता होना व उसको परिवादी द्वारा डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किए जाने तथा वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से 36,000/– रुपये रिश्वत मांगे जाने के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है।

(II) अभियुक्त के पास परिवादी का पदीय कार्य लंबित होना।

29. इस बिंदु को साबित करने का भार अभियोजन पर है, लेकिन अभियोजन की ओर से परिवादी के अभियुक्त के कार्यालय में अभियुक्त के पास कोई विभागीय कार्य लंबित होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी पी.ड 2 ने तथाकथित समय में स्वयं या उसके परिवावर के नाम शराब का ठेका होने से इनकार किया है। परिवादी द्वारा तथाकथित शिकायत प्रदर्श 2 पेश किए जाने पर रिश्वत राशि की मांग के संबंध में पूर्व सत्यापन करवाए जाने वाले अधिकारी भीम सिंह बीका पी.ड 15 द्वारा मांग सत्यापन से पूर्व परिवादी से उसके शराब के ठेके होने या उसके समूह के शराब के ठेके आवंटित होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए। पी.ड 15 ने साक्ष्य में परिवादी के शराब के ठेके के संबंध में दस्तावेज मांग सत्यापन से पूर्व प्राप्त नहीं करने का तथ्य स्वीकार किया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुई है कि परिवादी ने दिनांक 06.01.2013 से पूर्व राजस्थान स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम से शराब खरीदी हो। इसके अलावा यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाने वाला अधिकारी पी.ड 15 भीम सिंह बीका प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी रहा है, लेकिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के दौरान भी परिवादी से उसके या उसके समूह से शराब के ठेके आवंटित होने के संबंध में कोई दस्तावेज संकलित कर पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में आरोपी के पास परिवादी के शराब के ठेके के संबंध में कोई विभागीय कार्य लंबित होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। परिवादी पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अतः यह बिंदु भी अभियोजन साबित करने में असफल रहा है।

30. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग दिनांक 06.01.2013 को साबित करने में असफल रहा है तथा अभियोजन यह साबित करने में भी असफल रहा है कि दिनांक 06.01.2013 को अथवा दिनांक 10.01.2013 को परिवादी का कोई विभागीय कार्य आरोपी के पास लंबित हो। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय की राय में यह अवधार्य बिंदु अभियोजन साबित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्त आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

– आ दे श –

31. अतः अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद जयसिंघानी, डिपो प्रबंधक, राजस्थान राज्य बेवरेज कोरपोरेशन लिमिटेड, अजमेर। निवासी 7, सिंधुवाडी आशागंज, अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा– 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

32. प्रकरण में जब्तशुदा माल, वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही उक्त माल, वजह सबूत का निस्तारण किया जावे। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(सुनिल रणवाह)
न्यायाधीश,
डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर।

33. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल रणवाह)
न्यायाधीश,
डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर।